उत्तराखण्ड शासन

# सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

# मैनुअल–7

## नीति निर्धारण एवं उसका क्रियान्वयन

## किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून
मई, 2007

# <u>मैनुअल –7</u>

## नीति निर्धारण एवं उसका कियान्वयन

5.1 क्या लोक प्राधिकरण द्वारा नीति निर्धारण/कार्यान्वयन के संबंध मे जनता या जनप्रतिनिधि की परामर्श/भागीदारी का कोई प्राविधान है? यदि है तो बतायें।

उपरोक्त के पालन में प्रदेश सरकार द्वारा निम्न समितियां गठित की गई हैं।

(अ) जनपद सिंचाई बंधु–

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उसके आदेश सं0 408/93–27–एस0आई0–4 दिनांक 11.2.1993 द्वारा निम्न प्रकार गठित की गई थी, जिसे समय–समय पर संशोधित किया जाता रहा है।

1. जनपद के सांसद/विधान सभा सदस्य – अध्यक्ष
2. जनपद के सभी ब्लाक प्रमुख – सदस्य
3. जनपद के नहर/नलकूप/लिफ्ट नहरों के समस्त अधिशासी अभियंता – सदस्य
4. खंडीय राजस्व अधिकारी – सदस्य
5. जनपद के राज्य विद्युत परिषद के समस्त अधिशासी अभियंता – सदस्य
6. जनपद के मुख्य विकास अधिकारी – सदस्य
7. शासन द्वारा नामित सदस्य – सदस्य

प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग द्वारा नामित नोडल अधिशासी अभियंता सचिव–सदस्य होंगें।

सिंचाई बन्धु की बैठक में, सिंचाई से संबंधित निम्न समस्याओं पर चर्चा होगी तथा उनका समाधान किया जायेगा–

1. सिंचाई नहरों की उचित सिल्ट सफाई।
2. सिंचाई नहरों की अंतिम छोर पर पानी पहंचाने तथा नहरों के काटने से संबंधित समस्यायें।
3. चक (रोस्टर) के अनुसार नहरों को चलाना।
4. नहरों के कुलाबों की व्यवस्था से संबंधित समस्यायें।
5. नलकूपों के चलन से संबंधित समस्यायें।
6. नलकूपों की बंदी की समीक्षा।
7. सिंचाई दरों को तय करने संबंधी समस्या।
8. किसानों से प्राप्त अन्य शिकायतें।
9. सिंचाई मंत्री द्वारा निर्देशित अन्य कार्य।

सिंचाई बंधु की बैठक प्रत्येक माह होगी तथा इसके कार्यवृत्त नियमित रूप से अभिलिखित किये जायेंगें। (सिंचाई बंधु के गठन के शासनादेश संलग्न हैं।)

(ब) प्रदेशीय सिंचाई सलाहकार समिति

प्रदेश स्तर की सिंचाई सलाहकार समिति का गठन उत्तरांचल सरकार के ज्ञपांक 836/IX-1-si-270- स्थापना/04 दिनांक 27.2.2004 द्वारा सिंचाई एवं लघु सिंचाई कार्यों की समीक्षा, विभागीय कार्यों की गुणवत्ता सुधारने तथा सिंचाई व लघु सिंचाई के संसाधन बढ़ाने हेतु सुझाव देने के लिये किया गया है।

समिति में निम्न सदस्य होंगें (संबंधित शासनादेश संलग्न है)–

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | माननीय मंत्री, सिंचाई, लघु सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण | – | अध्यक्ष |
| 2. | श्री वीरेन्द्र सिंह बिष्ट<br>(जनपद रूद्रप्रयाग का प्रतिनिधित्व) | – | उपाध्यक्ष |
| 3. | श्री लच्छी लाल शाह, जोशीमठ<br>(जनपद चमोली का प्रतिनिधित्व) | – | सदस्य |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. | श्री महेश ढौंडियाल<br>(जनपद पौड़ी का प्रतिनिधित्व) | – | सदस्य |
| 5. | श्री राओ शाहिद अहमद, हरिद्वार<br>(जनपद हरिद्वार का प्रतिनिधित्व) | – | सदस्य |
| 6. | सरदार कुलदीप सिंह, ऋषिकेश<br>(ऋषिकेश का प्रतिनिधित्व) | – | सदस्य |
| 7. | श्री मूर्ति सिंह नेगी, चम्बा, टिहरी<br>(जनपद टिहरी का प्रतिनिधित्व) | – | सदस्य |
| 8. | श्री जयभगवान सिंह पंवार, धराली<br>(जनपद उत्तरकाशी का प्रतिनिधित्व) | – | सदस्य |
| 9. | श्री खुशहाल चन्द्र ग्रोवर, उधमसिंहनगर<br>(जनपद उधमसिंहनगर का प्रतिनिधित्व) | – | सदस्य |
| 10. | श्री हरेन्द्र सिंह बोरा, हल्द्वानी<br>(जनपद नैनीताल का प्रतिनिधित्व) | – | सदस्य |
| 11. | श्री मोहन चन्द भट्ट, बागेश्वर<br>(जनपद बागेश्वर का प्रतिनिधित्व) | – | सदस्य |
| 12. | श्री गोपाल सिंह जीना, अल्मोड़ा<br>(जनपद अल्मोड़ा का प्रतिनिधित्व) | – | सदस्य |
| 13. | श्रीमती अनीता गोरखा, लोहाघाट<br>(जनपद चम्पावत का प्रतिनिधित्व) | – | सदस्य |
| 14. | श्री दीपक कमल, डीडीहाट<br>(जनपद पिथौरागढ़ का प्रतिनिधित्व) | – | सदस्य |

समिति की बैठक सामान्यतः त्रैमासिक रूप से होगी।